रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 1974/चैत्र 7, 1896
No. 156] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 1974/CHAITRA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March 1974

S.O. 219(E)/IDRA/29B/74/5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts all industrial undertakings engaged in the manufacture or production of semi-finished leather, falling under the heading '31-Leather, Leather Goods and Pickers' of the First Schedule to the said Act and registered, or in respect of which a licence or permission has been issued, under the said Act, from the operation of section 11A of the said Act and the rules made thereunder, if such industrial undertakings manufacture or produce finished leather within their registered or licensed capacity, as the case may be:

Provided that the above exemption shall not apply to any industrial undertaking—

(i) to which Chapter III of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) applies or

(ii) owned by foreign companies, their branches of subsidiaries or by companies in respect of which more than 50 per cent of the paid-up equity share capital is held directly or indirectly by foreign companies, their branches or subsidiaries, or by foreign nationals or non-resident Indians.

[No. 12/127/LP/73]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1974

का० आ० 219 (अ)/आईडीआरए/2(ख)/74/5.—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक—"31-चमड़ा, चमड़े की बनी वस्तु और पिक्र्स, के अन्तर्गत आने वाले अर्ध-परिष्कृत चमड़े के विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए और उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या जिनके बारे में कोई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा दी गई हो, औद्योगिक उपक्रमों को उक्त अधिनियम की धारा 11क और तद्धीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से, उस दशा में छूट देती है जबकि ऐसे औद्योगिक उपक्रम, यथास्थिति, अपने रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञप्त क्षमता के भीतर परिष्कृत चमड़े का विनिर्माण या उत्पादन करते हैं :

परन्तु उपर्युक्त छूट किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होगी :—

(i) जिसे एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) का अध्याय 3 लागू होता है, या

(ii) जो विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं या समनुषंगियों या ऐसी कम्पनियों, जिनके 50 प्रतिशत से अधिक समादत्त साम्या अंश पूंजी प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विदेशी कम्पनियों, उनकी शाखाओं या समनुषंगियों द्वारा धारित है, या विदेशी राष्ट्रिकों या अनिवासी भारतीयों के स्वामित्वाधीन है।

[सं० 12/127/एल पी/73]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974